न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 55/2017 एफ.एस.एस.एक्ट

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा.

– आवेदक–

बनाम

1. श्री अनिल कुमार भुखमारिया पुत्र श्री नवल किशोर गुप्ता
एफबीओ मैसर्स – रूपराम किशन सहाय , मण्डी गेट के बाहर राज बाजार, बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 एफएसएस एक्ट 2006 सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री अभिनंदन गुप्ता अधिवक्ता अभियुक्त सं. 1 उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः 21.3.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा में कार्य सम्पादन कर रहा है। मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए /नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.7.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.8.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि दिनांक 05.6.2017 को दोपहर 02.30 बजे मैसर्स– रूपराम किशनसहाय, मण्डी गेट के बाहर राज बाजार बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अनिल कुमार भुखमारिया पुत्र श्री नवल किशोर गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक सफेद कट्टे में करीबन 10 किग्रा धनिया पाउडर (लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 2 कि.ग्रा. धनिया पाउडर खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक थैली में तोलकर दिया जिसकी कीमत 200 रूप्ये नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि नमूने के लिए खरीदशुदा 2 किग्रा धनिया पाउडर को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बे में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बे को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.– 1678 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बे पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहर के हस्ताक्षकर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं0 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफबीओ विक्रेता को देकर उसकी रसदी फार्म नं0 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं0 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीज बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बन्द लिफाफा श्री सतीश चन्द लिपिक ग्रेड–2 मुख्यालय द्वारा दिनांक 6.6.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये। जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 6.6.2017 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 7.6.2017 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1321/एक्ट/2017/1388 दिनांक 22.6.2017 डी. ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम ,2011 का उल्लंघनं (खुले मसाले बेचना) पाया गया है पत्र की प्रति संलग्न है।

यह है कि अभियुक्त ने एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। न्याय निर्णय आवेदन पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दोषीयों को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने का श्रम करें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अभियुक्त की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) का विक्रय कर नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम ,2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) किया गया है। जवाब बहस में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा धनिया पिसवाकर कट्टे में रखा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधि के मैन्डेटरी प्रावधानों की अवहेलना की गई है। अभिहित अधिकारी द्वारा जो अभियोजन स्वीकृति दी गई है वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.6.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) का नमूना में किसी प्रकार की मिलावट या खराबी नहीं पायी गई है। नमूना न ही सबस्टैण्डर्ड है और न ही मिसब्राण्ड है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध को अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः अप्रार्थी को दोषमुक्त किया जाकर प्रकरण ड्रोप फरमावें।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1321/एक्ट/2017/1388 दिनांक 22.6.2017 के अनुसार यद्यपि खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) का नमूना मिसब्राण्ड व सबस्टैण्डर्ड नहीं पाया गया है। किन्तु अप्रार्थी द्वारा धनिया पाउडर (लूज) का विक्रय कर नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम ,2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) किया गया है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी (अभियुक्त) श्री अनिल कुमार भुखमारिया पुत्र श्री नवल किशोर गुप्ता एफबीओ मैसर्स – रूपराम किशनं सहाय , मण्डी गेट के बाहर राज बाजार, बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, सपठित नियम 2011 की धारा 26(2)(v) के तहत उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) का विकय करने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधानो को मध्य नजर रखते हुए अप्रार्थी (अभियुक्त) को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006, सपठित नियम 2011 की धारा 26(2)(v) का उल्लघंन करने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री अनिल कुमार भुखमारिया पुत्र श्री नवल किशोर गुप्ता एफबीओ मैसर्स – रूपराम किशन सहाय , मण्डी गेट के बाहर राज बाजार, बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा पर 8,000/– (अक्षरे आठ हजार रू.) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 21.3.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/8650–8652 दिनांकः– 21.3.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अनिल कुमार भुखमारिया पुत्र श्री नवल किशोर गुप्ता एफबीओ मैसर्स – रूपराम किशन सहाय , मण्डी गेट के बाहर राज बाजार, बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official